# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– प.42/मुसप्र/नियमितीकरण/2017/ 610 दिनांकः– 11/9/17

उप आवासन आयुक्त (समस्त)/
आवासीय अभियन्ता (समस्त),
वृत/खण्ड .....
राजस्थान आवासन मण्डल,
.....

विषयः–घरौंदा योजना अन्तर्गत आवंटित आवासो का बैचान की स्थिति में पश्चातवृर्ति क्रेता के पक्ष में नियमन (नियमितीकरण) बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न वृत/खण्ड कार्यालय द्वारा मण्डल की घरौंदा आवासीय योजनाओ मे आवंटित आवासो का मूल आवंटी द्वारा बैचान कर दिये जाने के कारण पश्चात्वृर्ती केता के पक्ष मे नियमन (नियमितीकरण) किये जाने के क्रम मे विभिन्न वृत/खण्ड कार्यालय द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है तथा कतिपय स्थानो पर प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं किये जा रहे है।

प्रकरण का मुख्यालय स्तर पर विस्तृत परिक्षण उपरान्त यह पाया गया है कि मण्डल द्वारा घरौंदा आवासीय योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदको हेतु लाई गई थी। अतः आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग मे आवंटित आवासो को वर्तमान में मिलने वाला नियमन (नियमितीकरण) का लाभ घरौंदा योजना के आवासो को भी स्वतः प्राप्त होना चाहिये। यदि आपके अधीन कार्यालय को इसमे कोई विसंगति अथवा मण्डल नियमो के विरूद्ध कोई तथ्य नजर आता है तो अविलम्ब 07 दिवस में इस कार्यालय को सूचित करे, ताकि मुख्यालय स्तर पर इसका परीक्षण किया जा सके। अन्यथा घरौंदा आवासीय योजना के आवासो को आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग का आवास मानते हुए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ दिया जा सकता है।

उक्त को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

Sd/-
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
3. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पत्र की प्रति सभी उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

E/Mathur